न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA 103 of 2021 (GCMS 298 of 2021)

हनुमानसिंह पुत्र हीरालाल माली
निवासी धनारी कलां, तहसील बावडी
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल माली
   निवासी पीपाडशहर
   हाल निवासी जी.के.यू. ऑफिस के पीछे
   गोटन, तहसील मेडतासिटी,
   जिला नागौर
2. गणपतलाल पुत्र कन्हैयालाल माली
   निवासी पीपाडशहर
   हाल निवासी हरसोलाव रोड, गोटन
   तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर
3. मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल माली
   निवासी पीपाडशहर
   हाल निवासी पानी की टंकी के पीछे
   गोटन, तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर
4. हुकमाराम पुत्र हीरालाल माली,
   निवासी वार्ड संख्या 24, अशोकनगर
   पीपाडशहर, तहसील पीपाड
   जिला जोधपुर
5. सेवाराम पुत्र हीरालाल माली,
   निवासी वार्ड संख्या 24, अशोकनगर
   पीपाडशहर, तहसील पीपाड
   जिला जोधपुर
6. तारा पत्नी हीरालाल माली,
   निवासी वार्ड संख्या 24, अशोकनगर
   पीपाडशहर, तहसील पीपाड
   जिला जोधपुर
7. लक्ष्मी पुत्री हीरालाल पत्नी पेमाराम माली (भाटी)
   निवासी बोयल रोड रेल्वे फाटक के पास
   पीपाडशहर, तहसील पीपाड
   जिला जोधपुर

18.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

8. भंवरलाल पुत्र कन्हैयालाल माली
   निवासी पानी की टंकी के पीछे
   गोटन, तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर
9. सुगनीदेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी पेमाराम माली
   (कच्छवांह), निवासी मयाला बेरा पीपाडशहर
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
10. कौशल्या पुत्री कन्हैयालाल पत्नी पेमाराम माली (देवडा)
    निवासी ग्राम नांगलवास, तहसील भोपालगढ
    जिला जोधपुर
11. परसराम पुत्र राजाराम माली
    निवासी पुराना बस स्टेण्ट, गोटन
    तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर
12. रामेश्वर पुत्र राजाराम माली
    निवासी पुराना बस स्टेण्ट, गोटन
    तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर
13. माणकचन्द पुत्र राजाराम माली
    निवासी पुराना बस स्टेण्ट, गोटन
    तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर
14. खेमाराम पुत्र अन्नाराम माली
    निवासी बीनावास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
15. नेमाराम पुत्र अन्नाराम माली
    निवासी बीनावास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
16. पेमाराम पुत्र अन्नाराम माली
    निवासी बीनावास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
17. जवरीलाल पुत्र अन्नाराम माली
    निवासी बीनावास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
18. सोहनी पुत्री अन्नाराम पत्नी भानाराम माली
    निवासी मालियों की ढाणी
    बीनावास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
19. सीता पुत्री अन्नाराम पत्नी भागुराम माली (भाटी)
    निवासी भाटीयों की ढाणी, बागोरिया
    तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
20. प्रेमाराम पुत्र गंगाराम माली (देवडा)
    निवासी धोरू, तहसील भोपालगढ
    जिला जोधपुर

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

21. उदाराम पुत्र लुम्बाराम माली
निवासी भाटीयों की ढाणी, बागोरिया
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
22. भूराराम पुत्र भींयाराम जाट जरिये कायममुकामान-
22.1. दीपाराम पुत्र भूराराम जाट
22.2. तिलाराम पुत्र भूराराम जाट
22.3. सुरजाराम पुत्र भूराराम जाट
22.4. पदमाराम पुत्र भूराराम जाट
सभी निवासीगण पोटालिया धोरा
ग्राम कुडछी, तहसील खींवसर
जिला नागौर
23. माधुराम पुत्र रामुराम लोहार
निवासी धनारीकलां, तहसील बावडी
जिला जोधपुर
24. माणकराम पुत्र लादूराम लोहार
निवासी धनारीकलां, तहसील बावडी
जिला जोधपुर
25. बंशीलाल पुत्र उदाराम माली
निवासी वार्ड संख्या 24 अशोकनगर
पीपाडशहर, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर
26. प्रेमसिंह पुत्र चम्पालाल माली
निवासी सुभाष कॉलोनी, पीपाडशहर
तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
27. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार पीपाडशहर
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अप्रेल 2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर राजस्व वाद संख्या 43/2014 मोहनलाल व अन्य बनाम हनुमानसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 27

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 18 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2014 मोहनलाल इत्यादि बनाम हनुमानसिंह एवं अन्य में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 अप्रेल 2021 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद पीपाडशहर स्थित आराजी खसरा संख्या 1175 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 1177 रकबा 8 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 2488 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, नाप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जो वाद विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08 अप्रेल 2021 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गयी। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम मियाद प्रार्थनापत्र बाबत बहस करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 अप्रेल 2021 पारित किये जाने के बाद देशव्यापी महामारी कोरोना के कारण दिनांक 19 अप्रेल 2021 से लॉकडाउन घोषित हो जाने एवं आवागमन बंद हो जाने से अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया और समुचित समय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट को जानकारी नहीं हो पायी, दिनांक 16 अगस्त 2021 को पटवारी हळका मौके पर नाप आदि करने

18.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आये तब अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत बताया गया और उसी रोज दिनांक 17 अगस्त 2021 को विचारण न्यायालय में नकल प्राप्ति की कार्यवाही कर दिनांक 18 अगस्त 2021 को नकल प्राप्त होने के बाद अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 अगस्त 2021 को प्रस्तुत कर दी गयी, जो अन्दर मियादशुमार की जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं एवं मामले के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या एक ने वादग्रस्त आराजियात का मूल्यवान प्रतिफल चुका कर पूर्व खातेदार कन्हैयालाल से विधिवत खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। पूर्व खातेदार कन्हैयालाल को वादग्रस्त आराजियात बेचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से समक्ष सिविल न्यायालय (अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर) में उक्त बेचान संव्यवहार के खिलाफ दीवानी वाद संख्या 71/2015 पेश किया जो दिनांक 03 अप्रेल 2019 को खारिज कर दिया गया एवं बेचाननामा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 वैध ठहराया गया, जिसके खिलाफ वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 300/219 पेश की गयी, जो दिनांक 23 फरवरी 2021 को खारिज हुई है, ऐसी स्थिति में पूर्व खातेदार कन्हैयालाल द्वारा अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित उक्त बेचाननामा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों पर कोई ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, जो न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में तनकियात कायम की गयी, मगर सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा राजस्थान

18.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत दावे में धारा 53 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही कर भौतिक विभाजन के पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में भी निर्धारित विधिक प्रकिया का उल्लंघन किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। बरवक्त बहस अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रपत्र तीन के संलग्न न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या तीन, जोधपुर के समक्ष दीवानी मूल वाद संख्या 104/2018 मोहनलाल व अन्य बनाम हनुमानसिंह आदि में प्रतिवादी संख्या 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 6 व 8 की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा की छायाप्रतिया, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23 फरवरी 2021 की छायाप्रति एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या टीए/4683/21/जोधपुर अनवान मोहनलाल बनाम हनुमानसिंह की आदेशिकाओं दिनांक 27 सितम्बर 2021 से 22 जनवरी 2024 तक की छायाप्रतियॉ भी पेश की।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया। गुणावगुण पर अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार चौथाराम के देहान्त के बाद उनके पुत्र रामसुखजी को विरासत में मिली, रामसुखजी का देहान्त होने के बाद यह भूमि उनके तीन पुत्रों कन्हैयालाल, हरनारायण उर्फ अनाराम तथा हीरालाल की खातेदारी में जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 962 दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि है जिसमें कन्हैयालाल, हरनारायण उर्फ अनाराम तथा हीरालाल पिसरान रामसुखजी को विरासतन ⅓-⅓ हिस्सा प्राप्त हुआ। किन्तु अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या एक ने कन्हैयालाल के कम सुनने-समझने की स्थिति का फायदा उठाते हुए उसे धोखे में रखकर अपने पक्ष में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात में कन्हैयालाल के ⅓ हिस्से बाबत

18.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेचाननामा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 निष्पादित करवा लिया, जो विधिसम्मतः नहीं है क्योंकि कन्हैयालाल को उक्त भूमि पुश्तैनी आधार पर विरासतन प्राप्त होने से उसमें कन्हैयालाल के वारिसान पुत्रगण मोहनलाल, गणपत, मदनलाल, भंवरलाल, राजाराम के का.मु व पुत्रियों सुगनी व कौशल्या का भी हक-हिस्सा निहित है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत तनकीवार विवेचन व विश्लेषण कर निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 26 ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 अप्रेल 2021 पारित किये जाने के बाद देशव्यापी महामारी कोरोना के कारण दिनांक 19 अप्रेल 2021 से लॉकडाउन घोषित हो जाने एवं आवागमन बंद हो जाने से अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाना और समुचित समय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट को जानकारी नहीं हो पाना जाहिर किया गया है, जो स्वाभाविक प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में मियाद के संबंध में लचीला रूख अपनाते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना जाहिर करते हुए अपने हिस्से की भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, नाप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपने पिता कन्हैयालाल द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात में से अपने

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

⅓ हिस्से की भूमि बाबत अपीलाण्ट-प्रतिवादीगण संख्या एक हनुमानसिंह के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 को विधि-विरुद्ध बताते हुए अनुतोष चाहा गया है। प्रस्तुत वाद एवं जबाबदावा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित कुल 13 तनकियात कायम की गयी जिनमें से तनकी संख्या एक वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने के संबंध में तथा तनकी संख्या 10 उक्त बेचाननामा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 के परिप्रेक्ष्य में वाद की संधारणीयता बाबत कायम की गयी है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कन्हैयालाल द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात में से अपने ⅓ हिस्से की भूमि बाबत अपीलाण्ट-प्रतिवादीगण संख्या एक हनुमानसिंह के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 को निरस्त कराये जाने हेतु वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 71/2015 (100/2011) मोहनलाल व अन्य बनाम हनुमानसिंह इत्यादि प्रस्तुत किया गया, (जिसमें कन्हैयालाल पुत्र रामसुख को बतौर प्रतिवादी संख्या दो पक्षकार संयोजित किया गया है), माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 03 अप्रेल 2019 को खारिज करते हुए बेचाननामा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 वैध ठहराया गया, जिसके खिलाफ वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 300/219 पेश की गयी, जो दिनांक 23 फरवरी 2021 को खारिज हुई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या 71/2015 (100/2011) मोहनलाल व अन्य बनाम हनुमानसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03 अप्रेल 2019 की प्रति पेज 131 से 138 पर उपलब्ध है, किन्तु उक्त निर्णय एवं डिकी के खिलाफ प्रस्तुत एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 300/219 माननीय राजस्थान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23 फरवरी 2021 की प्रति उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः उक्त निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी। जो यदि पेश

18.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जाती तो विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक तथा उस पर निर्भर अन्य तनकियात बाबत पारित निष्कर्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय परिप्रेक्ष्य में अलग भी हो सकते थे।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 अप्रेल 2021 अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे और न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या 71/2015 (100/2011) मोहनलाल व अन्य बनाम हनुमानसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03 अप्रेल 2019 के खिलाफ वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से प्रस्तुत एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 300/219 मोहनलाल व अन्य बनाम हनुमानसिंह इत्यादि निस्तारित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23 फरवरी 2021 के परिप्रेक्ष्य में मूल वाद का न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर